न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 103/2017 **दायर दिनांकः 14.07.2017**

उनवान

1. ज्ञानकंवर आयु 72 वर्ष पुत्री अमरसिंह पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी आमली जागीर तहसील अटरू हाल पीपला तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादिया :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 12/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादिया ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 183, आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम आमली जागीर तह0 अटरू में वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 में आराजी ख0नं0 130 का रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुंआ के पास ख0नं0 145 का रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा माताजी की माफी ख0नं0 151 का रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा बडा पाडल्या ख0नं0 155 का रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा साठ्या ख0नं0 183 का रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा पीस्या ख0नं0 192 का रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा सडक के पास का तलाई वाला कुल किता 6 का कुल रकबा 128 बीघा 3 बिस्वा दर्ज खाता स्थित थी उक्त आराजी का बन्दोबस्त करते समय सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा नवीन ख0नं0 160 का रकबा 0.23 है0, ख0नं0 259/335 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 161/336 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 109 का रकबा 0.72 है0, ख0नं0 175 का रकबा 1.13 है0, ख0नं0 175/413 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 172/345 का रकबा 0.40 है0, ख0नं0 179 का रकबा 3.18 है0, ख0नं0 184 का रकबा 4.82 है0, ख0नं0 185/347 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0, ख0नं0 165 का रकबा 4.03 है0 बनाये है। आराजी पुराना ख0नं0 183 का रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा बड़ा पीस्या वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही थी जिसका सेटलमेन्ट

कर्मचारियों द्वारा बन्दोबस्त करते समय नवीन ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0 बनाकर जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार के नाम खाता दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज है, जिस पर वादिया ही काबिज काश्त करती चली आ रही है। इस तरह से सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा वादिया के खाते की आराजी प्रतिवादी के नाम खाते दर्ज कर दी है लेकिन उक्त आराजी को वादिया शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। वादिया के विरूद्ध आज दिन तक 91 एल.आर.एक्ट के तहत् भी कोई कार्यवाही नही हुई है लेकिन पिछले वर्ष दिनांक 15.07.2016 को वादिया अपने गांव पर आई और हल्का पटवारी आमली जागीर के पास अपने खाते की आराजी ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0 की नकल बनवाने गई तो राजस्व रिकार्ड देखने पर हल्का पटवारी ने बताया कि यह नम्बर आपके खाते दर्ज न होकर राजस्थान सरकार के नाम खाते दर्ज हो गई है। तथा हल्का पटवारी ने वादिया को नियमानुसार कार्यवाही करके आराजी ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0 पर से बैदखल करवाने की धमकी दी है या फिर जल्दी खाते बन्धवाने की अदालत में कार्यवाही करके आदेश लाने को कहा है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य मे सफल रहा और वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0 पर धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही करके बैदखल कर दिया गया तो अपने स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर प्राप्त चले आ रहे हक हकूकों से वंचित हो जावेगी जिसके फलस्वरूप वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं है, तथा वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इस वजह से वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है। कि इन्द्राज दुरूस्त करते हुये राजस्व रिकार्ड में आराजी नवीन ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0 आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर आराजी प्रविादी के यहां राजस्व रिकार्ड में वादिया के नाम खाते दर्ज की जावें, यदि दौराने वाद प्रतिवादी उक्त आराजी पर कब्जा कर ले तो उसे बैदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावें, इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.07.2016 को वादिया वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0 अपने खाते में दर्ज नही होने बाबत् हल्का पटवारी द्वारा बताने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 10.03.2017 को प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा वादिया के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही करके बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र मे उत्पन्न हुआ है। वादिया द्वारा अपने

अभिभाषक के माध्यम से अर्न्तत धारा 80 जा0दी0 का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बारां को प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारी वादिया के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0ए0 की कार्यवाही करके उसके स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा है, यदि वादिया द्वारा नोटिस अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि के दौरान प्रतिवादी वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0 पर से बेदखल कर दिया तो वादिया द्वारा वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से वादिया का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर कर नियमित सुनवाई के आदेश प्रदान करें। वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम व माल आमली जागीर तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पैश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याया शुल्क पर पैश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वादिया वाद प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की पारित की जावें किः—

(अ) इन्द्राज दुरूस्त करते हुये वादिया को नवीन ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0 आराजी वाके ग्राम एवं माल आमली जागीर तहसील अटरू पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) यदि दोराने वाद प्रतिवादी वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादिया को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी को कई बार अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया जाता है।

साक्ष्यवादिया के तहत् PW1 के बयान लेखबद्ध किये, रिकार्ड प्रदर्शित किया और साक्ष्यवादिया पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादिया बंद की गई।

अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम एवं आमली जागीर की नवीन ख0नं0 209 रकबा 3.20 है0 पर वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम आमली जागीर की जमाबन्दी सम्वत् 2023 – 2026 आराजी ख0नं0 130 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुंआ के पास ख0नं0 145 रकबा 4 बीधा 18 बिस्वा माताजी की माफी ख0नं0 151 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा बडा पाडल्या ख0नं0 155 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा साठ्या ख0नं0 183 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा पीस्या ख0नं0 192 रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा सड़क के पास तलाई वाला कुल किता 6 रकबा 128 बीघा 3 बिस्वा दर्ज खाता था बाद बन्दोबस्त करते समय सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा ख0नं0 160 रकबा 0.23 है0 ख0नं0 259/335 रकबा 0.08 है0 ख0नं0 161/336 रकबा 0.10 है0 ख0नं0 109 रकबा 0.72 है0 ख0नं0 175 रकबा 1.13 है0 ख0नं0 175/413 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 172/345 रकबा 0.40 है0 ख0नं0 179 रकबा 3.18 है0 ख0नं0 184 रकबा 4.82 है0 ख0नं0 185/347 रकबा 0.20 है0 (ख0नं0 209 रकबा 3.20 है0) ख0नं0 165 रकबा 4.03 है0 बनाये गये। लेकिन सेटलमेन्ट कार्मिकों द्वारा ख0नं0 209 का रकबा 3.20 है0 वादिया के खाते में दर्ज न कर राज सरकार के खाते में बंजड नहरी 2 दर्ज कर दिया गया सेटलमेन्ट कार्मिकों को खाते की भूमि सरकार के खाते दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। मिलान क्षेत्रफल रिकार्ड से स्पष्ट है। अतः न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम आमली जागीर की खसरा न0 209 रकबा 3.20 है0 भूमि वाके माल ग्राम आमली जागीर में वादिया ज्ञानकंवर पुत्री अमरसिंह पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत के खाते दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती कर आराजी वादिया के खाते दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 103/2017

उनवान

1. ज्ञानकंवर आयु 72 वर्ष पुत्री अमरसिंह पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी आमली जागीर तहसील अटरू हाल पीपला तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, आर टी एक्ट

उपस्थिति :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादिया :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम आमली जागीर की खसरा न0 209 रकबा 3.20 है0 भूमि वाके माल ग्राम आमली जागीर में वादिया ज्ञानकंवर पुत्री अमरसिंह पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत के खाते दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती कर आराजी वादिया के खाते दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 10:57:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: